2009 का विधयेक सं. 13

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

2009 का विधयेक सं. 13

राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 को निरसित करने और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को पुनःप्रवर्तित करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह 10 फरवरी, 2009 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2008 के राजस्थान अध्यादेश सं. 10 का निरसन.– (1) राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 10) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपर्युक्त अध्यादेश का निरसन–

(क) उक्त अध्यादेश के उपबंधों के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ख) उक्त अध्यादेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ग) उक्त अध्यादेश के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत किसी जुर्माने, शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(घ) किसी यथापूर्वोक्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, जुर्माने, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसा कोई भी जुर्माना, शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त अध्यादेश प्रवृत्त रहा हो।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 का पुनःप्रवर्तन.– राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 2 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रारंभ से–

(i) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं.38) पुनःप्रवृत्त हो जायेगा ; और

(ii) राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं.10) के अधीन स्थापित किये गये या स्थापित किये गये समझे गये सभी नगर निगम, परिषद्, बोर्ड या अन्य नगरपालिक प्राधिकरण या गठित की गयी या गठित की गयी समझी गयी सभी नगरपालिकाएं या की गयी या की गयी समझी गयी कोई भी नियुक्ति या नामनिर्देशन या आयोजित किया गया या आयोजित किया गया समझा गया कोई भी निर्वाचन या बनायी गयी या बनायी गयी समझी गयी कोई भी समिति या परिनिश्चित की गयी या की गयी समझी गयी सीमाएं या बनायी गयी या जारी की गयी या बनायी गयी या जारी की गयी समझी गयी कोई भी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम, प्ररूप या उप–विधियां या अधिरोपित किये गये या अधिरोपित किये गये समझे गये कर या की गयी या की गयी समझी गयी संविदाएं, जहां तक वे राजस्थान नगरपालिका

अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के उपबंधों से असंगत न हों, इस अधिनियम द्वारा यथा पुनःप्रवर्तित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के अधीन स्थापित, गठित, की गयी, आयोजित किया गया, बनायी गयी, परिनिश्चित की गयी, बनायी गयी या जारी की गयी, अधिरोपित किये गये या की गयी समझी जायेगी ।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसा निरसन होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 द्वारा निरसित और प्रतिस्थापित किया गया था। उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था किन्तु यह विधेयक अधिनियमित नहीं हो सका था।

तेरहवीं विधान सभा का प्रथम सत्र 1 जनवरी, 2009 को आहूत किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उपर्युक्त अध्यादेश 11 फरवरी, 2009 से प्रवर्तन में नहीं रहता और उसके पश्चात् विधिक शून्यता की स्थिति की संभाव्यता थी। इस आसन्न विधिक शून्यता को दूर करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 को पुनःप्रवर्तित किया जाना समुचित समझा गया।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 10 फरवरी, 2009 को राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुनःप्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में 10 फरवरी, 2009 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने और उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 13 of 2009

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES LAWS (REPEAL AND REVIVAL) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 13 of 2009

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES LAWS (REPEAL AND REVIVAL) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to repeal the Rajasthan Municipalities Ordinance, 2008 and to revive the Rajasthan Municipalities Act, 1959 and to provide for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities Laws (Repeal and Revival) Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 10th February, 2009.

2. Repeal of the Rajasthan Ordinance No. 10 of 2008.- (1) The Rajasthan Municipalities Ordinance, 2008 (Ordinance No. 10 of 2008) is hereby repealed.

(2) The repeal of the aforesaid Ordinance shall not-

(a) affect the previous operation of the provisions of the said Ordinance or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Ordinance; or

(c) affect any fine, penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the provisions of the said Ordinance; or

(d) affect any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, fine, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such fine, penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the said Ordinance had been in force.

3. Revival of the Rajasthan Act No. 38 of 1959.- Notwithstanding anything contained in the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) but subject to the provisions of sub-section (2) of section 2, as from the commencement of this Act-

(i) the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) shall stand revived; and

(ii) all the Municipal Corporations, Councils, Boards or other Municipal Authorities established or deemed to have been established or all municipalities constituted or deemed to have been constituted or any appointment or nomination made or deemed to have been made or any election held or deemed to have been held or any committee formed or deemed to have been formed or limits defined or deemed to have been defined or any notification, notice, order, scheme, rules, regulations, form or bye-laws made or issued or deemed to have been made or issued or taxes imposed or deemed to have been imposed or

contracts entered into or deemed to have been entered into under the Rajasthan Municipalities Ordinance, 2008 (Ordinance No. 10 of 2008) shall so far as they are not inconsistent with the provisions of the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) shall be deemed to have been established, constituted, made, held, formed, defined, made or issued, imposed or entered into under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) as revived by this Act.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Municipalities Laws (Repeal and Revival) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 1 of 2009) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Municipalities Act, 1959 had been repealed and replaced by the Rajasthan Municipalities Ordinances, 2008. To replace the aforesaid Ordinance a Bill was introduced in the 1st session of the 13th Legislative Assembly but the Bill could not be enacted.

The first session of the 13th Legislative Assembly was summoned on dated 1st January, 2009 and as per Article 213 of the Constitution of India the aforesaid Ordinance was to cease to operate on 11th February, 2009 and there was likeihood of legal void thereafter. To obviate the impending legal void, it was considered appropriate to revive the Rajasthan Municipalities Act, 1959.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Municipalities Laws (Repeal and Revival) Ordinance,2009 (Ordinance No. 1 of 2009) on 10th February,2009,which was published in the Rajasthan Gazette, Extra-ordinary , Part IV(B), dated 10th February, 2009.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

———————

A

Bill

to consolidate and amend the laws relating to the Municipalities in the State of Rajasthan and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

———————

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

———————

H.R. KURI,
Secretary.

(ASHOK GEHLOT, **Minister - Incharge**)